मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

सं. मानू/हिन्दी प्रकोष्ठ/2022/ 1197

दिनांक: 14 जुलाई, 2022.

परिपत्र

यह परिपत्र उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या 13035/1(1)/2021-रा.भा.ए. दिनांक 10.06.2022 तथा यू.जी.सी., शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या 1-3/2022 (राजभाषा) दिनांक 10.06.2022 के संदर्भ में जारी किया गया है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार केन्द्र सरकार के द्वारा नियंत्रित कार्यालयों में सभी कार्यालयी कार्य द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेज़ी में होंगें।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा-पत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों में जारी किए जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

तदनुसार, सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / अनुभाग अध्यक्षों / प्रभारी से अनुरोध है कि, राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत वह अपने आधिकारिक कार्यों के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान दें।

यदि हिन्दी में सहायता की आवश्यकता हो तो, हिन्दी प्रकोष्ठ से संपर्क किया जा सकता है।

कुलसचिव

कुलसचिव / Registrar
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu University
गच्चीबौली, हैदराबाद-५०० ०३२.
Gachibowli, Hyderabad-500 032.

सेवा में
मुख्यालय/ऑफ कैम्पस के सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों/ प्रधानाचार्यों/ प्रभारी
कुलानुशासक, प्रोक्टोस्ट(पुरूष एवं महिला)

प्रति:
1. *कुलपति/सम-कुलपति/ कुलसचिव/ वित्त अधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक/ पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यालय*
2. *निदेशक, सीआईटी (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ)*
3. *संबंधित फाइल*

संलग्नक: **वार्षिक कार्यक्रम 2021-22**

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

No. MANUU/H.C/2022/1197

Date: 14th July, 2022.

CIRCULAR

This Circular is issued in reference to letter No.13035/1(1)/2021-रा.भा.ए. dt.10.06.2022 received from Dept. of Higher Education, Ministry of Education, Govt. of India & letter No.1-3/2022(Official Language) dt.10.06.2022 received from UGC, Ministry of Education, Govt. of India .

SECTION 3(3) OF OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963, both Hindi and English shall be used for all official work in the offices controlled by the Central Government.

Under section 3(3) of the Official Language Act, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and Other Reports, Press Communiqués, Administrative and Other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament, Contract, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Forms of Tender should invariably be, issued bilingually. For any violation, the officer signing such documents will be held responsible.

Accordingly, all the Deans/Heads of the Department / Section Heads / Incharge are here by requested to take note of the above provisions under Official Language Act, 1963 in regard to their official work.

In case of any assistance in Hindi, Hindi Cell may be contacted.

Registrar

कुलसचिव / Registrar
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu University
गच्चीबौली, हैदराबाद-५०० ०३२.
Gachibowli, Hyderabad-500 032.

To
All Deans/HoDs/ Principals/ Incharges of HQ/Off-Campuses
Proctor, Provost(Boys & Girls)

Copy To:

1. *O/o V.C /PVC/Registrar/F.O/COE/Librarian.*
2. *Director, CIT for uploading on University Website*
3. *Concerned file*

Hindi Version follows

Encl; Annual Program **2021-22**

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली – 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सं. 13035/1(1)/2021-रा.भा.ए.

सैय्यद इकराम रिजवी
संयुक्त सचिव

दिनांक: 10 जून, 2022

महोदय/महोदया,

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण अनवरत जारी है। वर्ष 2021 और 2022 में अब तक हुए निरीक्षणों की सूची संलग्न है **(अनुबंध-1)**। इन निरीक्षणों के दौरान समिति ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कई कार्यालयों का निरीक्षण निरस्त/स्थगित किया है तथा मंत्रालय को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त समिति के अधिदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर केन्द्र सरकार के कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण करके सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना और उस पर सिफारिशें देते हुए सीधे महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना शामिल है।

Hindi officer
15.6.22

2. आप अवगत ही होंगे कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रसार एवं प्रगामी प्रयोग के संवर्धन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है जिसमें हिंदी बोले और लिखे जाने के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में निम्नानुसार विभाजित किया गया है:

क्षेत्र	शामिल राज्य/संघ शासित प्रदेश
क	बिहार, छतीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ख	गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली
ग	'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश

13/6

VC Office
F.M.No. 205
Inward Dt.
Outward Dt. 15/6/22

3. समिति ने पाया है कि शिक्षा मंत्रालय और नियंत्रणाधीन कार्यालयों के मध्य हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बहुत कम है क्योंकि अधिकांश पत्र केवल अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं जबकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मूल रूप से हिंदी में काम करके अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना जरूरी है हालांकि आवश्यक होने पर तैयार अंग्रेजी सामग्री का हिंदी अनुवाद कराना भी एक विकल्प है। समिति ने यह भी पाया है कि शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनेक कार्यालयों/संस्थानों में हिन्दी विज्ञापनों, हिन्दी पुस्तकों की खरीद, हिन्दी प्रकोष्ठ के गठन, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन एवं इसकी बैठकों के नियमित आयोजन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता एवं इसकी बैठकों में नियमित भागीदारी तथा वेबसाइट के द्विभाषीकरण आदि की स्थिति वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अत्यधिक कम है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार उल्लिखित मदों के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का विवरण संलग्न है (अनुबंध-2)।

4. मैं आभारी होऊँगा यदि आप शिक्षा मंत्रालय में अपने ब्यूरो और ब्यूरो के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/उपक्रमों/बोर्डों/आयोगों आदि में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दी के संवर्धन के उद्देश्य से विभिन्न मदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की यथाशीघ्र प्राप्ति के लिए सभी संबंधितों को निदेशित करने की कृपा करेंगे।

सादर,

शुभेच्छु

(सैय्यद इकराम रिजवी)

सेवा में,

सभी ब्यूरो प्रमुख, शिक्षा मंत्रालय ।

VC Office

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा विभाग, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली– 110 002
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phone : 011-23604322
ईमेल द्वारा

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

10 JUN 2022

10 जून, 2022

मिसिल सं0 1–3 / 2022 (राजभाषा)

कुलसचिव
सभी 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विषय :– राजभाषा संसदीय समिति का राजभाषायी निरीक्षण का दायरा विस्तार के संबंध में।

महोदय / महोदया,

संयुक्त सचिव (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का उपरोक्त विषयक संलग्न अर्धशासकीय पत्र संख्या 13035 / 1(1)2021–रा0भा0ए0 दिनांकित 27.05.2022, जो स्वतःस्पष्ट है ।

तद्नुसार उक्त पत्र के अनुपालन में आपसे अनुरोध किया जाता है कि आपके विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन / सम्बद्ध महाविद्यालयों को संघ की राजभाषा एवं उसके सम्यक अनुपालन की अनिवार्यता के प्रति जागरूक बनाएं।

भवदीय,

वासदेव तलरेजा

(वासदेव तलरेजा)
अवर सचिव

संलग्नकः– यथोपरि

278912/2022/RB b(रा०भा०)
07-6-2022

51

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सूचना का अधिकार

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली – 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

सैय्यद इकराम रिजवी, संयुक्त सचिव
अ. शा. पत्र सं. 13035/1(1)/2021-रा. भा. ए.

आदरणीय प्रो. रजनीश जैन जी,

दिनांक: 27.05.2022

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उपसमिति द्वारा उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों/कार्यालयों आदि का राजभाषायी निरीक्षण अनवरत जारी है।

जैसा कि आप अवगत हैं, उक्त उप-समिति ने अब अपने दायरे का विस्तार करके केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ उनके घटक कॉलेजों को भी राजभाषायी निरीक्षण के दायरे में शामिल कर लिया है। अभी तक, समिति ने राजभाषा नीति के प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज, आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और सेंट स्टीफेंस कॉलेज का राजभाषायी निरीक्षण किया है। उप-समिति ने पाया है कि कालेजों में संघ की राजभाषा नीति के प्रावधानों का अनुपालन बहुत ही कम हो रहा है जिसके लिए समयबद्ध तरीके से सुधार करना आवश्यक है। उप-समिति के समक्ष अपने प्रस्तुतीकरण में, इन कॉलेजों के प्रमुखों ने कहा कि संघ की राजभाषा नीति के प्रावधानों की पर्याप्त जानकारी नहीं होने से वे उनका सम्यक अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सके। इस स्थिति में सुधार की तत्काल जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि सभी विश्वविद्यालय/कॉलेज अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी सरकारी कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उनका क्षमता निर्माण करें जिसके लिए उनको सजग बनाना, प्रशिक्षित करना और हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निदेश दें कि वे अपने नियंत्रणाधीन कॉलेजों को संघ की राजभाषा नीति एवं उसके सम्यक अनुपालन की अनिवार्यता के प्रति जागरूक बनाएं तथा इस कार्य के लिए आयोग के राजभाषा प्रभाग द्वारा भी एक कार्य-योजना बनाई जाए जिसमें हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी भाषा/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि आदि का प्रशिक्षण और आवधिक राजभाषायी निरीक्षण शामिल हों।

सादर,

आपका

(सैय्यद इकराम रिजवी)

उप सचिव (रा.भा.)

सेवा में,

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

प्रतिलिपि:-

संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

अनुबंध-2

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2021-22 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	20%
		(न्यूनतम अनुभाग)		
		सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।		